

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2025/583

//सूचना//

दिनांक 13 MAR 2025

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सम्बद्धता की कार्यवाही SAMARTH eGov Suite के माध्यम से की जा रही है। अतः समस्त महाविद्यालय निम्नानुसार दस्तावेज, संस्था के सचिव/प्राचार्य से सील एवं हस्ताक्षर के साथ सत्यापित करवाकर, फाईल/फोल्डर में फ्लेग लगाकर दिनांक 21 मार्च 2025 तक अनिवार्यतः विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें:-

- 1/ SAMARTH Portal पर महाविद्यालय द्वारा भरे गए डेटा की छायाप्रति।
- 2/ SAMARTH Portal पर महाविद्यालय द्वारा अपलोड किया गया मूल शपथ-पत्र।
- 3/ महाविद्यालय द्वारा MP Online के माध्यम से जमा शुल्क की रसीद।
- 4/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी विगत वर्ष का सम्बद्धता/निरंतरता/सीट संख्या वृद्धि पत्र।
- 5/ उक्त पत्रों में उल्लेखित कमियों/शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन।
- 6/ राज्य शासन एवं संबंधित नियामक निकाय द्वारा जारी अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।


आदेशानुसार,


कुलसचिव

दिनांक :

पृष्ठांकन शैक्षणिक/सम्बद्धता/2025/
प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य/संचालक, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, जिला-इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. डॉ. परेश अत्री, ओ.एस.डी., सम्बद्धता मोड्युल कन्वेनर, दे.अ.वि.वि. इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, आई.आई.पी.एस., दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


निदेशक,

महाविद्यालय विकास परिषद